न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 5/रेगूलर/2024
(GCMS No. 2024/159)

तारीख दायरा
01.10.2024

तारीख निर्णय
05.11.2024

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
रसद कार्यालय, बून्दी

– प्रार्थी

बनाम

श्री तानिश अरोड़ा पुत्र सुनील अरोड़ा,
प्रो. चल चलैया हसदा पंजाब, खोजागेट बूंदी, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी की ओर से श्री देवराज गोचर एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 05/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/159 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक श्री देवराज गोचर उपस्थित न्यायालय आकर स्वयं के 02 गैस सिलेण्डरों को प्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 21.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा खोजागेट, बून्दी में स्थित चलचलैया हसदा पंजाब रेस्टोरेन्ट की घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग की प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में जांच की गयी। मौके पर रेस्टोरेन्ट कर्मचारी बिल्लू सिंह पुत्र अमरीक सिंह द्वारा उक्त रेस्टोरेन्ट का संचालन तानिश अरोडा द्वारा करना बताते हुये वहां की जांच करवायी गयी। जांच के दौरान 02 एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य सामान पाये गये। पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग रेस्टोरेन्ट में खाना पकाने में किया जाता है। दौराने जांच तानिश अरोडा के पास गैस रिफिल करने का कोई लाइसेंस होना नहीं मिला तथा सिलेण्डरों को कब्जे में रखे जाने संबंधी कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। साथ ही उपस्थित कार्मिक बिल्लू सिंह द्वारा भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अतः घरेलू सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण भारत गैस के उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 20.2 कि.ग्रा. गैस को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी मैसर्स अरूण गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल कुमावत की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों मय गैस के राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अप्रार्थी के 02 घरेलू सिलेण्डरों को जप्त कर लिया है। उक्त सिलेण्डर घर पर ले जाने के लिए वहां रखे हुये थे, इस कारण उनके द्वारा की गई कार्यवाही निराधार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी नियमानुसार नहीं होने से निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के दो गैस सिलेण्डर मय गैस के अप्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश फरमावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अपने रेस्टोरेन्ट में व्यवसायिक उपयोग किया गया है इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान पेश तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डर मय गैस के राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन कि.ग्रा.
1	199892	BPCL	14.2 कि.ग्रा.
2	62512	BPCL	6.0 कि.ग्रा.
		कुल गैस वजन	20.2 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के वापस कम्पनी को लौटाये जाने की नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार अविलम्ब पालना की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

कलक्टर एवं जिला मजि. बून्दी